# OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

**आदेश कमांक 1/1-2003 Admn(1)** **दिनांक, पंचकूला 13.08.2018**

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र कमांक 1/9/2009–1सं0का0 दिनांक 03.08.2018 जो कि हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों /कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थित रहने व दौरे पर न जाने बारे दिए निर्देशो से सम्बन्धित है, निम्नलिखित को सुचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा गुरुग्राम।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
7. सहायक निदेशक प्रशासन सैकेण्डरी।
8. रजिस्ट्रार सैकेन्डरी शिक्षा।
9. अधीक्षक प्रशासन शाखा प्राईमरी ।
10. पी0एस0/निदेशक सैकेन्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
11. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशा0 ।
12. निजि सहायक/अतिरिक्त निदेशक शैक्षिक।
13. निजि सहायक/संयुक्त निदेशक प्रशासन ।
14. प्राशासन शाखा में कार्यरत सभी सहायक।
15. आई.टी सैल– वेबसाईट पर अपलोड करने बारे।

सहायक निदेशक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला।

D:\ADMN 4\OFFICE ORDERS.DOC

1S Secondary Edu.

315(Govt)
13/08/18

विधान सभा कार्य
परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009–1सं० का०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 03.08.2018

विषयः– हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थित रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 17 अगस्त, 2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये <u>अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।</u>

भवदीय,

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक–एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

Director Secondary Education Haryana, Panchkula
09 AUG 2018
21395

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशाः क्रमांक 1/9/2009–1सं० का० दिनांक चण्डीगढ़ 03.08.2018

<<o>>